रोमिन्द्र सिंह आदि **बनाम** जसपाल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 33 सन् 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/132

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 52 जीजी के खाता संख्या 15/13, 34/31, 38/35, 66/34, व चक 49 जीजीए के खाता संख्या 40/35, 44/39, 45/42, एंव चक 44 जीजी के खाता संख्या 3/3 तथा चक 5 एफ एफ के खाता संख्या 32/34 की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते